

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
प्रकरण संख्या 172/2012 (रैफरैन्स-82 एल आर एक्ट)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।प्रार्थी

बनाम

1. कलुआ पुत्र नथोली जाति जाटव निवासी बाराखुर्द तहसील वैर जिला भरतपुर।
(मृतक)
1/1 नत्थो पत्नी कलुआ
1/2 सन्ता पत्नि चन्द्रसेन पुत्री कलुआ जाटव ग्राम बबेखर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।
1/3 शान्ति पत्नि रामहंस कौम जाटव ग्राम बबेखर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956
निरस्त करने आवंटन व नामान्तरकरण संख्या 202 आराजी
खसरा नम्बर 670/1 रकबा 2-00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम
गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित:- 1. पैरोकार सरकार

दिनांक: 22.2.2018

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त करने आवंटन व नामान्तरकरण 202 आ0ख0नं0 670/1 रकबा 2.00 गै0मु0 नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। बाद न्यायिक कार्यवाही बाबजूद सूचना अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। नियत दिनांक को पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आ0ख0नं0 670/1 रकबा 2.00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है उक्त रकबा किस गैर मुमकिन नदी दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की गैरमुमकिन पोखर/नदी आराजी का प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध आवंटन/नियमन किया गया है। जबकि ऐसी भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है जिसका आवंटन/नियमन किया जाना विधि विरुद्ध है। यह कि आराजी के संदर्भ में अप्रार्थी को सम्बत 2023 में एक वर्ष के लिये अस्थायी आवंटन किया था बाद में सम्बत 2024 में पुनः एक साल के लिये अस्थाई आवंटन किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से अस्थायी आवंटन के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया है। यद्यपि अस्थाई आवंटन आदेश संलग्न नहीं है किन्तु नकल जमाबन्दी सम्बत 2022, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023-26, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067-70 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 202 यह तथ्य साबित होता है। जिस पर खातेदारी अस्वीकृत की गई है। आवंटन आदेश गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के

तहत अग्निकाण्ड में जलने के कारण संलग्न नहीं है। यद्यपि आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है किन्तु नामान्तरकरण व जमाबन्दियों की सत्यप्रति से अस्थाई भूमि आवंटन साबित होता है। जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 – अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे सार्वजनिक उपयोग की आराजी गैर मुमकिन नदी/पोखर के किये गये आवंटन एव नियमन को विधि विरुद्ध माना गया है। कथनों के समर्थन में पत्रावली में जमाबन्दी सम्बत 2022, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023-26, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067-70 की प्रमाणित प्रतियां प्रतियां संलग्न की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 670/1 रकबा 2.00 बीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्बत 2022, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023-26, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067-70 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 202 की प्रमाणित प्रतियों से यह साबित होता कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। जिसका अस्थाई आवंटन भी विधि विरुद्ध है वहालत मौजूदा रिकार्ड से उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नदी होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी सार्वजनिक भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना वर्जित है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किये आवंटन / नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुये भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जब आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरुद्ध एवं निरस्त योग्य रहता है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण खातेदारी/बयानामा निरस्त योग्य रहते है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रा0भू0रा0अधि0 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है। विवादित आ0ख0नं0 670/1 रकबा 2.00 बीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर का अप्रार्थी को किया गया अस्थाई आवंटन/नियमन निरस्त किया जावे तथा अस्थाई आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 202 शून्य होने के कारण निरस्त किये जावे। तथा विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। असल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.2.2018 को सुनाया गया।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर**